न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

सपुर्दगीनामा **प्रार्थना पत्र 09/2024**

(एफ.आई.आर संख्या 0140/2024 सरकार बनाम रमजान खां, असलम खान)

अपराध अन्तर्गत धारा 3,5,6,8,राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995

श्री असलम खान पुत्र श्री शौकत खान, जाति मुसलमान उम्र 49 वर्ष निवासी सोजत रोड, जिला पाली .....**प्रार्थी**

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक .....**अप्रार्थी**

उपस्थित :–

श्री मजीत मोहम्मद अभिभाषक प्रार्थी

प्रार्थना पत्र वास्ते वाहन रिलीज करने बाबत

(एफ.आई. आर संख्या 0140/2024 सरकार बनाम रमजान खां, असलम खान)

–:आदेश:–

दिनांक– 22.11.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी/सुपुदर्गीदार का वाहन संख्या आर. जे. 22 जी ए 5217 पुलिस थाना पीसांगन जिला अजमेर के प्रकरण संख्या 0140/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 3,5,6,8, राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 में जब्त किया गया। प्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक जप्त वाहन का सुपुर्दगी/जमानत पर छोड़े जाने के आदेश हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर थानाधिकारी पुलिस थाना पीसांगन से प्रकरण बाबत टिप्पणी तलब की गई। सुनवाई चाहने उपस्थित को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/सुपुदर्गीदार का वाहन संख्या आर.जे. जी ए 5217 पुलिस थाना सदर पीसांगन जिला अजमेर की एफ.आई.आर. संख्या 0140/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 3,5,6,8, राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 में जब्त किया गया है। दिनांक 29.08.2024 को प्रार्थी ग्राम कनोज में किसी मित्र से मिलने गया था उस वक्त अपना वाहन संख्या आर.जे. 22 जी ए 5217 साथ में था वहां पर गांव के कुछ लोगो द्वारा प्रार्थी को कहा कि हमारे गांव में आवारा साण्ड खुलेआम घूम रहे है यह हमारे वर्तमान में फसलो

जिला कलक्टर
अजमेर

का नुकसान कर रहे है जिससे गरीब किसान को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है आप हमारी ओर से उपरोक्त साण्डों को आपके वाहन में भरकर किसी सुनसान जगह व जंगल में छोड देना। इस कारण गांव वालो ने मिलकर उस दिनांक को 18–19 आवारा साण्ड को इकठ्ठा किया जाकर प्रार्थी के ट्रक में भरवा दिया। उसी वक्त प्रार्थी व उसके साथी रमजान ने भडसुरी रोड नाड गांव में रात के समय उपरोक्त वाहन से सुनसान जगह व जंगल देखकर खाली कर रहे थे उसी वक्त ग्राम नाड के कुछ 10–15 आदमी एक ब्लेक कार लेकर व अन्य मोटर साईकिल में आकर प्रार्थी को उपरोक्त जानवर वाहन से खाली करने नहीं दिया प्रार्थी ने कहा कि यह जानवर फसलो को नुकसान पहुँचा रहे है इस कारण इन जानवरो को सुनसान जगह व जंगल में छोड रहा हूं आपके पास में गांव के लोगो ने राजीखुशी से सहमति से भरवाया है हमारे द्वारा कोई किसी प्रकार का अविधिक कृत्य नहीं किया जा रहा है लेकिन वह लोग आपराधिक प्रवृति के थे जिन्होने हमारे साथ लकडी के डण्डों से मारपीट की व जानलेवा हमला किया जिससे प्रार्थी के हाथ में फैक्चर हो गया व उसके साथी के साथ भी काफी मारपीट की जिससे अन्दरूनी चोटे आयी एवं प्रार्थी के पास लगभग 65 हजार रूपये नकद व उसके साथी के पास 11 हजार रूपये नगद थे वह लूटकर लेकर चले गये एवं जाते समय उपरोक्त व्यक्तियों ने वाहन के कॉच व लाईट फोड दिये एवं गाडी में सामान जैसे त्रिपाल, रस्सा व लोहे के फन्टे व जैक लेकर चले गये व वाहन को काफी क्षतिग्रस्त कर दिया इस कारण प्रार्थी ने उसी वक्त पुलिस थाना पीसांगन जिला अजमेर में सूचना दी जिस पर मौके पर पुलिस आने पर उन्होने सारी घटना की शिकायत दी थी लेकिन पुलिस वालो ने जैसे तैसे करके प्रार्थी को उपरोक्त व्यक्तियों से बचाकर पुलिस थाने लेकर आयी। फिर पुलिस वालो ने प्रार्थी को उपचार हेतु पीसांगन हॉस्पिटल लेकर गयी उसके बाद प्रार्थी व उसके साथी को जेएलएन अस्पताल अजमेर में रेफर कर दिया। घटना के दूसरे दिन उपरोक्त व्यक्तियों ने पुलिस वालो से मिलकर उल्टा प्रार्थी व उसके साथी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 0140/2024 अन्तर्गत धारा 3, 5, 6, 8 राजस्थान गौवंशीय अधिनियम के तहत दर्ज किया जाकर उपरोक्त वाहन को उक्त प्रकरण में जब्त किया गया। प्रकरण में प्रार्थी व उसके साथी को जमानत का लाभ दिया जाकर रिहा कर चुके है। उपरोक्त वाहन का खाने पीने के कार्य के रूप में किया जा रहा है। उपरोक्त वाहन काफी समय से पुलिस थाना पीसांगन अजमेर में पडे रहने से खराब होने से संभावना मौजूद है जिससे प्रार्थी का काफी आर्थिक नुकसान हो सकता है। उपरोक्त वाहन मुझ प्रार्थी का खाने कमाने का एक मात्र साधन है जिससे प्रार्थी के परिवार का पालन पोषण हो रहा है। उक्त प्रकरण का निस्तारण होने में अभी समय लग सकता है एवं उपरोक्त प्रकरण में उक्त वाहन का अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। अतः प्रार्थी/वाहन मालिक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वाहन संख्या आर.जे. 22 जी ए 5217 को सुपुर्दगीनामें/रिलिज करने के आदेश न्यायहित में पारित करे।

हमने थानाधिकारी पुलिस थाना पीसांगन जिला अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का प्रार्थी के सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र एवं सुनवाई दौरान व्यक्त कथनो पर मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि पुलिस थाना पीसांगन को प्राप्त सूचना पर दौरान जांच ट्रक नम्बर आर.जे. 22 जी. ए. 5217 में अवैध रूप से कुल 19 गौवंश ट्रक में बुरी तरह से ठुस ठुस कर भरे हुए थे। ट्रक के अन्दर गौवंश के लिए कोई खाने पीने की चीज नहीं मिली जिस पर ट्रक में भरे गोवंश को रामदेव गौशाला में उतारने हेतु ट्रक में भरे गौवंश को सुरक्षित गौशाला में उतारा गया। जिसके कुल 19 देशी व अमेरिकन गाय के सांड/व बछडे

जिला कलेक्टर
अजमेर

उतारकर गौशाला संचालक को सुपुर्द किया गया। व उक्त कृत्य अपराध धारा 3, 5, 6, 8 राज. गौवंश पशु अधिनियम 1995 की नीयत से आना पाया जाने पर ट्रक नं0 आर.जे. 22 जी.ए 5217 को जब्त किया गया। प्रकरण हाजा में जब्तशुदा वाहन ट्रक आर.जे. 22 जी ए 5217 से अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। प्रकरण हाजा में जब्तशुदा वाहन ट्रक नम्बर आर.जे. 22 जी ए 5217 से कोई अनुसंधान शेष नहीं है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं विवेचनानुसार जिस स्थिति में उक्त गोवंश को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। उससे इन्हे अवैध रूप से (कटने के लिये) ले जाना स्पष्ट है। जब्तशुदा गौवंश को, देखरेख/चारे पानी की सुचारू व्यवस्था हेतु गौशाला में अस्थाई सुपुर्दगी पर छोडा गया है। पुलिस अनुसंधान में मुल्जिमान के विरूद्ध धारा धारा 5, 6, 8 गोवंश अधिनियम 1995 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 तथा धारा 11 पशु कुरता अधिनियम 1960 का अपराध प्रमाणित पाया गया है। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के अधिनियम संख्या 23 में धारा 6–क का अन्तःस्थापन किया गया है जिसमें इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जावें तथा ऐसे अपराध करने के लिए उपयोग में लाये गये प्रवहण का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होगा, प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त अधिनियम के तहत अधिकारिता रखने वाला सक्षम प्राधिकारी को कब्जे राज लिये गये गौवंश तथा ऐसे अपराध के लिए उपयोग में लिये जाने वाले वाहन के निस्तारण का अधिकार दिया गया है। प्रार्थी द्वारा इस वाहन को सुपुर्दगीनामें पर दिए जाने का निवेदन किया गया है। वाहन के अधिहरण के आदेश करने के पूर्व गौवंशीय पशु अधिनियम में दिये गये प्रावधानो के मध्यनजर जब्तशुदा वाहन के अधिहरण के बदले में प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक के जुर्माने का संदाय करने पर वाहन प्रार्थी को सौंपा जा सकता है। चूंकि उक्त वाहन ट्रक नं0 आर.जे. 22 जी.ए. 5217 का उपयोग, उपरोक्तानुसार गैर–कानूनी अवैध कृत्य हेतु किया जा रहा था। विचाराधीन प्रकरण में जब्त वाहन ट्रक नं0 आर.जे. 22 जी.ए. 5217 को रूपये 50,000/–अक्षरे पचास हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है। आरोपित शास्ति राशि प्रार्थी द्वारा जमा करवाने पर थानाधिकारी पुलिस थाना पीसांगन जिला–अजमेर, राशि नियमानुसार राजकोष (सम्बन्धित मद) में जमा करवाकर वाहन ट्रक नं0 आर.जे. 22 जी.ए 5217 की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद जांच सम्बन्धित वाहन मालिक को सुपुर्द करें। जमा चालान/रसीद, की पालना रिपोर्ट पेश हों।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 22.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर